REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer
Email : rorpcb.kishangarh@gmail.com

RPCB/RO KSG/PUB-387/ 1849

Date: 12.09.2024

M/s Mata Dadhimati Metals & Minerals,
(Prop. Rajkumar Dadhich)
C/o S.N. Sharma, Building Complex,
First Floor, Main Road, Rourkela, (Odisha)

Sub.:- **Public hearing for Environmental Clearance for Granite & Masonry Stone Cluster no. 162 Mining Project, Total Cluster area 36.81768 Hectares, Total cluster production capacity 5074021 TPA (ROM), Village Bhinay, Tehsil Bhinay, District Kekri applied by M/s Mata Dadhimati Metals & Minerals, M.L. No. 16/2023 (Plot No. 119).**

Ref.:- Office of District Collector & District Magistrate, Kekri letter no. 3324 dated 04/09/2024.

Sir,

In reference to above, please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before **18/09/2024**. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Bhinay, Tehsil Bhinay, District Kekri at 10:00 AM on 18/10/2024** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

IT

Yours sincerely

sd

(Nidhi Khandelwal)
SEE & Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Instituional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
2. The Sub Divisional Officer, Bhinay in compliance of letter no. 3324 dated 04/09/2024.
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

SEE & Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2,पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

LiFE Lifestyle for Environment

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–387/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः– मैसर्स माता दधिमती मेटल्स एंड मिनरल्स, खनन पटट्ा संख्या 16/2023 (प्लॉट संख्या 119), निकट ग्राम भिनाय, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर संख्या 162 खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन खनन क्लस्टर कुल क्षेत्रफल 36.81768 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–50,74,021 टीपीए (आर.ओ.एम.)** आवेदक **मैसर्स माता दधिमती मेटल्स एंड मिनरल्स द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन खनन परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.00 हैक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1,75,000 टीपीए (आर.ओ.एम.) जो कि खनन पटट्ा संख्या 16/2023 (प्लॉट संख्या 119), निकट ग्राम भिनाय, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी में स्थित है** से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **मैसर्स माता दधिमती मेटल्स एंड मिनरल्स** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई. आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:–
   1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील कार्यालय–भिनाय, जिला–केकड़ी।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, भिनाय, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी के पत्र क्रमांक एफ.5( )( )न्याय/पर्यावरण/2024/3324 दिनांक 04.09.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 18/10/2024 को प्रातः 10:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, भिनाय, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर में दिये जा सकते है यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड–19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(निधि खण्डेलवाल)
वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी